(कृष्णदत्त सुलतानपुरी)

बोर्ड ', वहां से इंटरव्यू के लिए पत्र आते हैं कि आपका इंटरव्यू इस विभाग में हो रहा है, उसमें वह सलेक्ट नहीं होते हैं । एक खास उपाय आपको करना चाहिए कि भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके बच्चों के लिए रोजगार की सुविधा हो ताकि वह देश की रक्षा ठीक से कर सकें ।

यहां कश्मीर के बारे में कहा गया है और बहुत सी दूसरी बातें भी कही गई कि वहां पर हमारी फौज डेढ़ किलोमीटर दूर खड़ी रही । मैं कहना चाहता हूं कि हमें ऐसी बातें यहां नहीं करनी चाहिए । हमें वह बातें करनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता-अखंडता कायम रहे। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े। आप लोग बस यही बोलते रहते हैं कि सरकार यह गलत कर रही है, वह गलत कर रही है। कौन सा काम है जिसमें आपका सुझाव आया है ? देश की एकता-अखंडता में रुकावट पैदा करने वाली जो शक्तियां हैं, उनको रोकने के लिए आपने क्या सुझाव दिया है ? हर जगह हिन्दुस्तान के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। जब बंगलादेश की लड़ाई हुई, उस वक्त भी देश संगठित रहा और जैसा इन्होंने कहा कि करीब 80 हजार सैनिकों ने हथियार डाले, यह किसका काम था ? कांग्रेस का काम था। आज भी मैं समझता हूं कि हमारे नेता बिल्कुल सही ढंग से इस देश को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं । फिर आपको क्या तकलीफ है कि प्रधान मंत्री जी इस महकमे को नहीं चला सकते ? हम सब लोग प्रधान मंत्री जी के साथ हैं। पूरे देश की फौज हमारी बहुत मजबूत है तो आपको किस बात का खतरा पैदा हो रहा है ? प्रधान मंत्री जी के लिए खतरा पैदा हो रहा है या आपको अपने बारे में ही खतरा लग रहा है ? मैं समझता हूं कि राजनीतिक बातों को छोड़कर देश की एकता-अखंडता के लिए आपको काम करना चाहिए। सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई का ठीक इंतजाम होना चाहिए और सैनिक स्कूलों में ज्यादा बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए। यहां जो इनको खतरा लग रहा है, मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि इनके खतरे को हमेशा के लिए दूर कर दें ताकि ये हमेशा के लिए कम से कम यहां सदन में शान्ति रखें। ये लोग दो दो दिन यहां सदन को चलने नहीं देते हैं। अध्यक्ष जी आप क्या कर सकते हैं ? आप बैठे रहते हैं और हमें हिदायत देते रहते हैं कि बैठ जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन ये ऐसी चाल चलते हैं कि सुबह से शाम तक सदन का कोई काम न हो और बस इनका भाषण होता रहे। हम सबको मिलकर देश की एकता-अखंडता के लिए काम करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं। हमें लोगों ने काम करने के लिए भेजा है। हमें फौज को मजबूत करना है और उनका हौसला बढ़ाना है। यदि आप फौज को डीमोरलाइज करेंगे, हजरत बल और बोफोर्स की बात करेंगे तो फौज का मनोबल कैसे बढ़ेगा ? आप इस बात को दिल में रखें कि देश को हमें आगे बढ़ाना है।

मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा और क्योंकि आपने दो बार घंटी बजा दी है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि यह चर्चा विभिन्न चरणों में पूरी हो चुकी है। पहले दिन जो कुछ भी कहा गया था, सम्भवत: उसे आज तक भुला दिया गया है। लेकिन मुझे सब कुछ याद है और मैं यह समझता हूँ कि जो कुछ भी पूछा गया उसके बारे में मेरे मित्र, राज्य मंत्री ने अधिकतर तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किए हैं, फिर भी यदि माननीय सदस्यों को और कुछ सूचनायें चाहिएं तो हम निश्चित ही वह सूचना उन्हें देंगे ।

मैं अपने आप को कुछ ही मामलों, सरकार की रक्षा नीति से संबंधित कुछ मामलों तक ही सीमित रखूंगा और सभा को विश्वास में लेना चाहूँगा और हर सम्भव इन बातों को स्पष्ट करूंगा ।

महोदय, पहली आलोचना एक असाधारण किस्म की आलोचना थी जिसमें यह कहा गया है कि हमारी कोई राष्ट्रीय रक्षा नीति नहीं है । मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि यह सत्य नहीं है ।

हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय रक्षा नीति जैसा कोई दस्तावेज नहीं है । लेकिन ऐसे अनेक दिशानिर्देश हैं जिनका हमारे द्वारा पूर्णत: अनुसरण और पालन किया जाता है जिनमें से कुछ निम्नलिखित है :-

(1) भूमि, समुद्र तथा आकाश में राष्ट्रीय क्षेत्र, जिसमें हमारी भू-सीमा, द्वीप क्षेत्र तथा समुद्र तटीय सम्पत्ति और समुद्री व्यापार मार्ग भी सम्मिलित है ।

(2) हमारे देश का आंतरिक वातावरण इस प्रकार तैयार करना ताकि धर्म, भाषा, जाति अथवा सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के आधार पर इसकी एकता और प्रगति को कोई खतरा उत्पन्न न हो।

(3) हमारे निकट पड़ोसी देशों पर उस सीमा तक प्रभावित करने में सक्षम होना ताकि उनसे सद्भावनापूर्ण संबंधों के साथ-साथ हमारे राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा हो सके।

(4) क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व में प्रभावी रूप से योगदान देने हेतु सक्षम बनना तथा हमारे निकट पड़ोसी छोटे राष्ट्रों में अस्थिरता, जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, को दूर करने हेतु देश के बाहर प्रभावी आपातकालीन कार्यवाही करने की क्षमता प्राप्त करना।

प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के बारे में उल्लेख करते हुए सुझाव दिया गया है कि सरकार की एक सुस्पष्ट और व्यापक रक्षा नीति होनी चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने, प्राक्कलन समिति के 19वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी अपनी टिप्पणियों में, समिति को स्थिति से पूरी तरह से अवग

करा दिया। समिति ने इस उत्तर को स्वीकार किया तथा, जैसाकि 41वें प्रतिवेदन में कहा गया है, इन्हें सिफारिशों के रूप में स्वीकार किया गया । नीति केवल अपने लिखित रूप में ही अलचीली नहीं है, अपितु ये दिशानिर्देश हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं जिन्हें, रक्षा नीति का पालन करते समय ध्यान में रखा जाता है। मैं समझता हूँ कि इससे अधिक स्पष्टीकरण अथवा विस्तार की आवश्यकता नहीं है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब हमारी प्राक्कलन समिति इसे स्वीकार कर चुकी है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई और प्रश्न उठ सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। यह सच है कि पहले 1990 में हमने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया था तथा उसकी केवल एक बैठक हुई। उसके पश्चात कुछ नहीं हुआ। जब इस सरकार ने सत्ता संभाली तो सदन के अंदर तथा बाहर इस बारे में सवाल उठाये गए। इस बीच सरकार ने इस मुद्दे पर काफी विचार-विमर्श किया। मेरे पास राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अथवा ऐसे किसी निकाय के गठन का वायदा करने का अवसर है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का ध्यान रखे तथा इसके सभी संभावनाओं तथा विकल्पों की जांच करे।

मैंने इस महत्वपूर्ण विषय का पहले भी उल्लेख किया था और यह भी कहा था कि हम 1990 में, इस विषय पर, सरकार द्वारा जारी आदेश की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चूंकि नई सरकार सत्ता में आई है इसलिए हम समग्र परिवर्तन चाहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, में अनुभव के कारण यह पाया गया कि यह अक्षम थी। तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा, गृह, विदेश और वित्त जैसे संबद्ध मंत्रालयों के सचिवों तथा एजेंसियों के प्रमुखों सहित केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सामाजिक नीति ग्रुप का गठन किया गया जिसका कार्य सामरिक नीति संबंधी पत्रों पर विचार करना था। उस समय लिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सभापति के रूप में प्रधान मंत्री, सदस्यों के रूप में रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और जरूरत पड़ने पर मुख्य मंत्रियों सहित कुछ अन्य लोगों को शामिल किया जाना था। वास्तव में यह वही था जो उस समय राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के रूप में था तथा इसमें एक या दो व्यक्ति और थे। यह एक सामान्य परिवर्तन या इसमें कोई स्वरूपात्मक परिवर्तन नहीं किया गया था। प्रबुद्ध गैर-अधिकारी व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, विद्वानों, पत्रकारों, भूतपूर्व सरकारी अधिकारियों, कुछ मुख्य मंत्रियों तथा संसद सदस्यों को मिलाकर एक काफी बड़े सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। यह बड़ा निकाय काफी बोझिल पाया गया तथा इसमें की गई चर्चा का कोई विशेष महत्व नहीं हुआ करता था क्योंकि इस बड़े निकाय में चर्चा के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी विशेष निर्णय अथवा किसी विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। इस निकाय का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को व्यापक सूचना तथा विकल्प उपलब्ध कराने में सहायता पहुंचाना था। मेरा विचार है इसके कार्यकरण की जांच करने के पश्चात तथा उस बैठक में जो कुछ भी हुआ-कि इस आकार और संरचना के निकाय द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। हमने उपर्युक्त तंत्र की पूरी तरह समीक्षा की है तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वर्ष 1990 में जिस रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, वह राजनैतिक मामलों संबंधी केबिनेट कमेटी से ज्यादा भिन्न नहीं है । दूसरी बात यह है कि, 1990 में प्रस्तावित सलाहकार बोर्ड अब बेकार हो गया है। इतने बड़े निकाय में चर्चा से लोग मुख्य विषय से भटक जाते हैं तथा सारी कार्यवाही अस्पष्ट और धुंधली हो जाती है। इन मामलों में ससंद सदस्यों तथा शिक्षाविदों तथा अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों सहित गैर-सरकारी विशेषज्ञों से परामर्श करना महत्वपूर्ण तथा लाभदायक होता है। लेकिन ऐसा परामर्श, छोटे तथा सुगठित समूहों, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा विशेषज्ञता वाले लोग हो, में अच्छी प्रकार से किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एक व्यापक विषय है। इसमें अनेक विषय होते हैं तथा उन विषयों पर चर्चा करते समय उस पर ध्यान देना तथा उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ होना आवश्यक है न कि विशेषज्ञों की एक निकाय जिससे कि हम मुख्य विषय से अलग हो जायें। महोदय, यही हमारा विचार है तथा हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं । किसी बड़े सलाहकार बोर्ड में हमेशा ही एक विशेष समूह से परामर्श करना फायदेमंद नहीं होता। अत: हम यह अनुभव करते हैं कि एक बड़े सलाहकार बोर्ड के स्थान पर, अध्ययन अथवा विचाराधीन किसी विशेष क्षेत्र संबंधित चुने हुए विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करना ज्यादा लाभदायक होगा। इन विशेषज्ञों को सामरिक नीति से संबंधित कागजातों को तैयार करते समय तथा इन पर चर्चा के दौरान उच्च स्तर पर इन विशेषज्ञों की सहायता लेना ज्यादा उपयोगी होगा। अन्य देशों में प्रचलित प्रणालियों की समीक्षा करने पर हमने पाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के संबंध में विभिन्न देशों में अलग-अलग संरचानयें विद्यमान हैं जो कि उन देशों की शासन प्रणाली पर निर्भर करती हैं जिन देशों में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार होती है सामान्यत: उन्हीं देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संयुक्त राज्य अमरीका है। यह प्रणाली भारत में अपनाना कठिन है क्योंकि यहां केन्द्रीय सरकार अपना कार्य मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिमंडलीय समिति, के माध्यम से करती है जिसका कार्यभार मंत्री के पास होता है और वे अपने विषय के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन में किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन नहीं किया गया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य पर विभिन्न मंत्रिमंडलीय समितियों, उदाहरणार्थ रक्षा, तथा विदेश नीति संबंधी समिति, परमाणु रक्षा नीति संबंधी समिति, उत्तरी आयरलैंड संबंधी समिति, आसूचना सेवा संबंधी समिति आदिमें विचार किया जाता है। हमारे मामलों में, ब्रिटेन में प्रचलित प्रणाली ज्यादा उपयुक्त है। अत: हमारा यह विचार है कि सामरिक अथवा नीति संबंधी कागजातों को मंत्रियों के समक्ष विचारार्थ लाने हेतु हमें मंत्रियों की एक विशिष्ट समितियां अथवा मंत्रियों के समूहों का गठन करना होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। इस लचीली व्यवस्था के अन्तर्गत संसद सदस्यों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, संबंधित प्रभारी मंत्री तथा अन्य मंत्रियों, मुख्य-मंत्रियों को इसमें शामिल किया जा सकेगा। जिनका योगदान महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि, आज एक अलग राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अस्तित्व में नहीं है किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए ऐसी व्यवस्था और प्रणाली विद्यमान

(प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव)

है। मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्यरत संयुक्त आसूचना समिति संबद्ध मंत्रालयों तथा एजेंसियों से निरन्तर विचार-विमर्श करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सेनाध्यक्षों की समिति, जिनका अपना सचिवालय है, में निरन्तर विचार-विमर्श किया जाता है। संयुक्त आसूचना समिति के सभापति तथा अन्य एजेंसियों के प्रमुख सेनाध्यक्षों से विचार-विमर्श करते रहते हैं। ये सभी अभी भी कार्यरत हैं। इसमें सचिवालय के मुख्य समूह भी सहायता पहुंचातें हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामललें की जांच करते हैं। ये व्यवस्था और प्रणाली सुचारू रूप से कार्यरत हैं लेकिन वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होने के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं। हम इस सबसे ऊपर एक निकाय बनाना चाहते हैं जो विभिनन तंत्रों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदनों तथा निष्कर्षों की जांच करेगा। वैसे तो ये तंत्र और प्रणाली सही ढंग से कार्य कर रहे हैं फिर भी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कुछ मामलों में वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात यह है कि नीति संबंधी कागजातों का अध्ययन और उसे तैयार करते समय हमें गैर-सरकारी विशेषज्ञों सहित प्रबुद्ध व्यक्तियों को इसमें शामिल करना होगा। इस बात की भी आवश्यकता है कि दस्तावेज तैयार करते समय एक केन्द्रीय दृषिटकोण अपनाया जाना चाहिए न कि विभाग अथवा मंत्रालय इसलिए, एक सर्वोच्च निकाय की आवश्यकता महसूस हुई।

राष्ट्रीय सुरक्षा के कई पहलू ऐसे हैं जिन पर किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग के स्थान पर एक अंतर-मंत्रालीय समूह अथवा किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा संबंधित मंत्रालयों और निकायों को सहयोजित करके एक समग्रतापूर्ण एवं समेकित कार्य योजना के लिए नीति तैयार किया जाना बेहतर होगा। अत: दोनों पहलुओं, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित विशिष्ट पहलू अथवा किसी मुद्दे पर सामान्य पहलू सहित एक विशिष्ट तंत्र, और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक निकाय जो कि अनियंत्रणीय नहीं अपितु एक सर्वोच्च निकाय है जो सभी पहलुओं पर ध्यान देने के अतिरिक्त सबके साथ समन्वय बनाये रखना, भी आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि हम शीघ्र ही एक सही निष्कर्ष पर अतिशीघ्र पहुंचेंगे और समिति की उपयुक्त संरचना तैयार कर पाएंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह मसला उठाया है तथा इस मसले पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का मुझे अवसर दिया है। हम अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में संलग्न हैं तथा औपचारिक निर्णय लेने से पूर्व हम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में अपने प्रस्तावों पर माननीय सदस्यों के विचार अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। यह लगभग तैयार है और अंतिम चरण में है तथा बिना और अधिक समय गंवाए मैं माननीय सदस्यों के विचार जानने हेतु उनके समक्ष आऊंगा।

महोदय, तीसरा मुद्दा जो मुख्यत: उठाया गया है, वह परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) के बारे में है। अत्यधिक रोचक एवं निराशाजनक बात यह है कि एक माह पूर्व एन.पी.टी. के पुनरीक्षण हेतु न्यूयार्क में सम्मेलन हुआ था। वहां जो कुछ भी हुआ मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता। हमारी स्थिति स्पष्ट है। मैं यह नहीं समझ पाया कि इस सम्मेलन से क्या उपलब्धि हुई। शायद इसमें भाग लेने वाले लोगों द्वारा यथासमय मुझे अवगत करा दिया जाएगा। परन्तु जहां तक मैं समझता हूं केवल यह उपलब्धि हुई है कि एन.पी.टी. के समय को वर्तमान रूप में अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। आरम्भ से अर्थात 1968 से जब से परमाणु अप्रसार संधि हुई है, भारत का यह विचार है कि यह संधि, जिस रूप में प्रारूपित एवं स्वीकृत की गई है, पक्षपातपूर्ण है। यह परमाणु के ऊर्ध्वाकार प्रसार की अनुमति देती है। विश्व को, परमाणु क्षमता प्राप्त तथा परमाणु क्षमता रहित, दो भागों में विभाजित करती है, तथा वास्तव में परमाणु क्षमता रहित राष्ट्रों, जो कि स्वयं के प्रयासों से इसे प्राप्त करने ही वाले हैं, को ऐसा करने से रोकने हेतु बनाई गई है। उनका विचार यह है कि "हमने परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली है, हम इसे अपने पास कायम रखेंगे परन्तु किसी दूसरे राष्ट्र को यह क्षमता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" महोदय वास्तव में यह सफल नहीं हो पाई। इस संधि से निरस्त्रीकरण नहीं हो पाया है और उन राष्ट्रों पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लग पाया है जो परमाणु क्षमता प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्त कर रहे हैं जिन पर एन.पी.टी. द्वारा रोक लगाने की आशा की गई थी वे दोनों ही बातें हो रही हैं। जब यह इन दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है, ऐसी स्थिति में मुझे यह नहीं समझ आता कि ऐसी संधि को अनिश्चितकाल के लिए क्यों बढ़ाया गया है। इसका केवल यही तात्पर्य है कि वर्तमान स्थिति तथा इससे भी खराब स्थिति अनिश्चित समय तक जारी रहेगी। यह हमारी नीति के निहितार्थ के विरुद्ध है। इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मैं एक और संगत और विशेष बात कहना चाहूंगा कि जिस समय देशों के प्रतिनधि एन. पी. टी. पर विचार-विमर्श कर रहे थे उस माह के दौरान क्या घटित हुआ? घटना इस प्रकार है। यह "ग्रीनपीस", जो एक गैर-सरकारी संगठन है, के दस्तावेज से ली गई है। मैं इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि क्या-क्या घटित हो रहा है। पहली घटना निम्नलिखित है :-

> "जब गत माह परमाणु अप्रसार वार्ता हेतु राजनयिक संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित थे, उसी समय ब्रिटेन ने अपनी नवीनतम ट्राइडेंट परमाणु पनडुब्बी निगरानी हेतु भेज दी। शनिवार, 29 अप्रैल को यह 'वैनगार्ड' नामक पनडुब्बी अपनी दूसरी निगरानी यात्रा पर गई। "वैंगार्ड" पर ट्राइडेंट मिसाइलों के साथ-साथ 100 किलो टन के 96 परमाणु शस्त्र हैं। प्रत्येक प्रक्षेपास्त्र की मारक दूरी 4500 मील तक है तथा प्रत्येक अस्त्र में हिरोशिमा में डाले गए बम जैसे 640 बमों के बराबर मारक क्षमता है।"

ऐसा उस समय हो रहा है जब वे एन.पी.टी. के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी घटना इस प्रकार है :-

> "फ्रांस ने एक नए भूमि परमाणु परीक्षण केन्द्र का उद्घाटन किया है। अप्रैल मास के अंत में प्रधानमंत्री एडुआर्ड बाल्लाद ने बोरदो के निकट परमाणु अस्त्रों के कृत्रिम परीक्षण हेतु लेसर केन्द्र का उद्घाटन किया।

इस केन्द्र पर छह बिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक की लागत का अनुमान है। रविवार, 7 मई को फ्रांस के निर्वाचित राष्ट्रपति जैक शिराक ने कहा कि यदि सेना विशेषज्ञों ने परामर्श दिया तो फ्रांस में परमाणु-परीक्षण पुन: प्रारंभ किया जाएगा।''

यह बात उन्होंने अपने निर्वाचन से पूर्व कही थी । निर्वाचन के बाद -

''न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री से उन्होंने कहा कि फ्रांस परीक्षण कार्यक्रम संपन्न होने से पूर्व पांच से सात तक परमाणु परीक्षण कर सकता है''।

इस तरह इस प्रकार की गतिविधियां पहले की तरह सामान्य ढंग से हो रही हैं। उस एक माह के दौरान जब वे इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे थे कि एन.पी.टी. को जारी रखा जाए अथवा नहीं, या इसे संशोधनों सहित जारी रखा जाए अथवा बिना किसी संशोधन के, उसी समय वे बेरोक-टोक बिना सोचे-विचारे ऐसे काम लगातार कर रहे थे। इस मामले में सारे प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। एक ओर हम वार्ता जारी रखते हैं किंतु दूसरी ओर हम वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। इन बातों की एक लम्बी सूची बन सकती है कि रूस क्या कर रहा है, संयुक्त राज्य अमरीका क्या कर रहा है तथा अन्य राष्ट्र क्या कर रहे हैं । मैं इसे विस्तार से नहीं कहना चाहता। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि यह हमें स्वीकार्य नहीं है । इसीलिए हमने इसे स्वीकार नहीं किया है। हम कोशिश करेंगे । हम अपने प्रयास जारी रखेंगे कि एक निष्पक्ष परमाणु अप्रसार संधि हो तथा 1988 में निरस्त्रीकरण पर एक विशेष सत्र में हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा दी गई कार्ययोजना, जो कि एकमात्र सकारात्मक दस्तावेज है, और पिछले सात वर्षों से उनके विचारार्थ लम्बित है, को स्वीकार किया जाए । अब तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है और इसे अस्वीकृत भी नहीं किया गया है यहां तक कि इस पर विचार भी नहीं किया गया जबकि ऐसी अपेक्षा थी। इसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे विचारों के पूर्णत: प्रतिकूल है। इसे एक नया मोड़ दिए जाने की आवश्यकता है। हमें ऐसा करना ही है। हमें केवल यह कहकर छुटकारा नहीं पाना चाहिए कि ''बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। हम इसे नहीं रोक सकते।'' जी नहीं, हम इसे बिल्कुल नहीं रोक सकते। हमें इसके साथ ही रहना होगा। यह हमारा विचार है। यही विचार उचित है। परमाणु क्षेत्र में परमाणु क्षमता सहित और परमाणु क्षमता रहित दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 20 वर्ष लगें अथवा 15 वर्ष परन्तु एक समय के बाद वे यह क्षमता प्राप्त कर लेंगे। जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण निरस्त्रीकरण नहीं होगा, तब तक निरस्त्रीकरण नहीं हो सकता और इस देश में तो यह कभी नहीं हो सकता। यह सर्वविदित है कि परमाणु सामग्री की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। हम समाचार पत्रों में यह रोजाना पढ़ते हैं। ऐसा बहुत से देशों द्वारा किया जा रहा है, मैं उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझता। क्या यह निरस्त्रीकरण के लिए अनुकूल वातावरण है। क्या एन. पी. टी. को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखकर विश्व इसी प्रकार का निरस्त्रीकरण करना चाहता है। हम इससे सहमत नहीं हैं मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी पक्ष इस बात पर सहमत होंगे कि इस सम्मेलन ने मानवता के लिए कोई उपयोगी योगदान नहीं किया है। हम परमाणु और अन्य अस्त्रों सहित सभी प्रकार के विध्वंसकारी अस्त्रों को पूर्ण रूप से नष्ट करने के पक्ष में हैं। तो स्थिति यह है और मुझे विश्वास है कि यह सभा इस विषय में सरकार की स्थिति को समझेगी।

एक अन्य प्रश्न जो उठाया गया था वह युद्ध स्मारक के बारे में था। मेरे विचार से इस पर काफी समय लगा है परन्तु स्थिति वैसी ही है। एक मार्च को सेनाध्यक्षों की समिति ने सिफारिश की थी कि धौला कुआं में रक्षा सेवा अधिकारी संस्थान के सामने 32 एकड़ भूमि पर एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाए। चूंकि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, अत: इसके डिजाइन तथा मॉडलों को एक खुली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर बनाने का प्रस्ताव है । राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के डिजाइन एवं मॉडल के चयन के उपरान्त ही स्मारक के निर्माण के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

युद्ध संग्रहालय के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था। इस संबंध में स्थिति यह है कि सेना मुख्यालय से अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्तावित युद्ध संग्रहालय के लिए एक उचित स्थल का पता लगाएं। खेद है कि इसमें भी काफी समय लग गया है तथा इस संबंध में बहुत से विचार है । अंतिम निर्णय करने में कुछ कठिनाई आ रही है। स्थल के चयन के बाद युद्ध संग्रहालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

एक माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सुझाव यह दिया था कि सेना में सक्रिय सेवा की अवधि को घटा कर सात वर्ष कर दिया जाए तथा सेना से निवृत्ति के बाद सैनिकों को अर्द्ध सैनिक बलों अथवा राज्य पुलिस बलों में नियोजित किया जाए। इसमें अच्छाई और बुराई दोनों हैं। परन्तु कुल मिलाकर सुझाव अच्छा है। हम इसमें कुछ परिवर्तन और संशोधन कर सकते हैं। हम इसकी विस्तृत जाँच करेंगे । इसका लाभ है कि यद्यपि सैनिक की सक्रिय सेवा में कमी कर दी जाएगी परन्तु फिर भी उसे घर वापस नहीं भेजा जाएगा। उसे जब वह सक्रिय एवं युवा है तथा उसके पास सेना में प्राप्त सात वर्ष का अनुभव है, ऐसी अवस्था में ही अर्द्ध सैनिक बलों में स्थान मिल जाएगा। अत: इसमें दोनों तरह से फायदा है। परन्तु हमें यह देखना होगा कि प्रतिवर्ष 20,000 से 25,000 पदों का सृजन किया जाए। क्या राज्य पुलिस बलों में भर्ती होने के इच्छुक स्थानीय आकांक्षी युवकों के अतिरिक्त 20,000 से 25,000 व्यक्तियों को समायोजित किया जा सकता है- ये सभी मामले हैं जिनके संबंध में हमें राज्य सरकारों से परामर्श करना होगा। परन्तु सुझाव अच्छा है तथा मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी गहराई से जांच की जाए।

आवास की कमी के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। मैं मानता हूं कि कमी है और मैं समझता हूँ कि इस वर्ष निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाएगी। नियत धनराशि का भुगतान कर दिया गया है और इससे विवाहितों हेतु अतिरिक्त आवास का निर्माण किया जायेगा जिसमें से अधिकारियों के लिए 506 क्वार्टर, जूनियर कमीशन्ड अफसरों के लिए 505 क्वार्टर तथा अन्य रैंकों के लिए

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव)

4215 क्वार्टर बनेंगे-इस प्रकार कुल 5226 क्वार्टर बनेंगे । सेनाओं के मुख्यालयों को निजी आवास किराये पर लेने का प्राधिकार प्रदान किया गया है। इससे कमियां घटी हैं तथा संतुष्टि का स्तर बढ़ा है। लेकिन जिस ढंग के और जिस डिजाइन के हम चाहते हैं उसी प्रकार के स्वत: पूर्ण सुविधासम्पन्न आवास के निर्माण से ही स्थायी उपाय सम्भव है। किराये पर आवास लिया जाना अस्थायी व्यवस्था मात्र हो सकती है।

एक प्रश्न जो उठाया गया था वह मिग-21 (बिस) की श्रेणी में सुधार करने के बारे में है और यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है। दिये गये वक्तव्य में कुछ त्रुटियां थीं। मैं इस बारे में गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। मिग-21 (बिस) विमान 1977 में भारतीय वायुसेना के बेडे में शामिल किया गया। मिग-21 (बिस) विमान केवल 15 वर्षों से ही उपयोग में लाया जाता रहा है। पिछले दशक से प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति विशेषत: एयरबोर्न रेडार शस्त्रों तथा विमान संचालक अक्रमण प्रणाली में उन्नति के कारण मिग-21 (बिस) की लड़ाकू क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। जो पहले संभव नहीं थी। वर्तमान प्रस्ताव में एयर इन्टरसेप्शन रेडार का अनुकूलन, विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से जमीन पर सीधे मार करने वाले नियंत्रित अस्त्र तथा परिशुद्ध विमान संचालन आक्रमण व रक्षा प्रणाली शामिल है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि इस प्रकार के सुधार भी संभव हैं। मुझे तो केवल चार वर्ष पहले ही इनके बारे में मालूम हुआ और तभी से हम इन चीजों को शामिल कर रहे हैं और इस प्रकार श्रेणी में सुधार किया गया है। दस वर्ष पहले ये सुधार संभव नहीं थे । जिस प्रकार के सुधारों के बारे में विचार किया जा रहा है उसके परिणामस्वरूप विमान की लड़ाकू क्षमता में काफी सुधार होने की संभावना निश्चित रूप से प्रबल है। तो स्थिति इस प्रकार आपके सामने स्पष्ट है। ऐसा करने में हम और समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि सभी प्रकार के जांच और प्रयास किये जा रहे हैं। वे अन्तिम चरण में हैं और निश्चित रूप से फलीभूत होंगे।

जगुआर विमानों के बारे में भी कुछ कहा गया था। शुरू में तो जगुआर विमान बगैर ब्लैक बॉक्स के हासिल किये गये थे। बाद में इसे विमानों में लगाया गया। महोदय, अब हालत ये है कि 16 जगुआर 1979 में रॉयल एयर फोर्स से उधार लिए गए। इन विमानों में ब्लैक बॉक्स नहीं लगे हुए थे क्योंकि रॉयल एयर फोर्स ने अपने निर्माण मानक के मद्देनजर अपने विमानों में इनकी मांग नहीं की थी। तथापि जब 1980-81 में हमने अपने लिए विमान खरीदे तो उनमें ब्लैक बॉक्स लगे हुये थे क्योंकि हमारे एस.पी.ओ. ने उसकी मांग की थी। तो स्थिति यह है । ऐसा नहीं है कि हमने बगैर ब्लैक बॉक्स के ही जगुआर खरीद लिये थे । यह सत्य नहीं है। पहले 16 विमान हमने किराये पर लिये थे। उनमें ब्लैक बॉक्स नहीं था क्योंकि तत्कालीन स्थिति के अनुसार उनमें ब्लैक बॉक्स लगाया जाना अपेक्षित नहीं था।

मेरे विचार से ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो नीति से सम्बंधित हैं, जिन्हें चर्चा के दौरान उठाया गया था। यदि कोई बात मैं कहने से चूक गया होऊं तो, इस समय संभव होने पर मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा मैं माननीय सदस्यों को लिखित रूप में जवाब भेज सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, हमने काफी लम्बे समय तक रक्षा मंत्रालय की मांगों की चर्चा कर ली है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वाकई समय बहुत ज्यादा लगा है।

अध्यक्ष महोदय : दोनों ही बातें सही हैं। अत: एक या दो प्रश्न जो बड़े प्रासंगिक हैं उन्हें ही उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं केवल एक बात जानना चाहता था जिसे शायद मैं नहीं समझ सका। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब सरकार किसी किस्म के संशोधित ढांचे के बारे में विचार कर रही है जिस ढांचे को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या कुछ और नाम दिया जा सकता है। इसे कोई दूसरा नाम भी दिया जा सकता है। यह किसी किस्म मुख्य ढांचा हो सकता है जिसके लिए कतिपय उपसमितियों का गठन किया जा सकता है। इसे अन्तिम रूप अभी दिया जाना है। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की इसमें क्या भूमिका होगी ? इस नये ढांचे में जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, इसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की क्या भूमिका होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था हमें जो जानकारी है वह ठीक है अथवा गलत.....

श्री पी.वी. नरसिंह राव : गलत।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ...आपको इसकी जांच कर लेनी चाहिये तो हमें यही जानकारी है कि रक्षा नीति, रक्षा योजना आदि सभी मसलों में तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की सामान्यतया उपेक्षा की जाती रही है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, यह ठीक नहीं है। सेना अध्यक्ष भी रक्षा संबंधी सलाह-मशविरे में शामिल होते हैं और शामिल होते रहेंगे क्योंकि उनके बिना वास्तव में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता। महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय राज्य मंत्री ने चर्चा के दौरान हस्तक्षेप किया था तो उन्होंने केवल संक्षेप में मिसाइलों के प्रश्न का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वे संक्षेप में इसका जिक्र करेंगे क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री मुख्य चर्चा का जवाब देने के लिए आयेंगे तो वे ही इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं मिसाइलों के बारे में हुई चर्चा को सुन नहीं पाया, शायद माननीय प्रधानमंत्री उन दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे जिसके बारे में राज्य मंत्री ने उत्तर दिया था। अर्थात पृथ्वी तथा अग्नि के बारे में बतायेंगे और इससे वह बा पूरी हो जायेगी। जिसे अधूरा छोड़ा जा रहा था।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, मैं इस सभा को याद दिला दूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा संबंधी में उत्तर में मैंने यथावश्यक सविस्तार बताया था। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अग्नि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना है। हमने इसके कुछ परीक्षण पहले ही कर लिए हैं तथा कुछेक और किये जाने हैं और वर्तमान स्थिति यही है। मैंने फैक्टरी का दौरा किया। हाल ही में मैंने अग्नि तथा पृथ्वी दोनों देखे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसी इस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी उसी के अनुरूप जारी रहेगा। इसमें किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाएगी और इसमें कोई संशोधन भी नहीं किया जाएगा। इस सब के बारे में मैंने पहले ही दोनों सभाओं में बता दिया है। 'पृथ्वी' का परिनियोजन विचाराधीन है। इसके अगले चरण में पहुंचने तक मैं सभा को विश्वास में ले सकता हूं। इसके बारे में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मैं एक बार फिर सभा को विश्वास दिलाता हूं, हालांकि मैं ऐसा पहले ही कर चुका हूं और जिसके बारे में हम पर आरोप लगते रहे हैं । हकीकत यह है कि इसमें सरकार को न तो फुसलाया गया है अथवा न दबाव डाला गया है अथवा न कोई और बात आदि की गई है, हमारे कार्यक्रम में जिसकी हमने ऐसी परिकल्पना की है, उसमें रत्तीभर भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मैं दो मसले उठाना चाहता हूँ । एक मसला तो वह है जिसके बारे में प्रधान मंत्री ने रक्षा नीति के संबंध में बोलते हुए प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने कहा है कि प्राक्कलन समिति ने सरकार का विचार स्वीकार कर लिया है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट को अवश्य पढ़िए। इसमें रक्षा मंत्रालय के जवाब के संबंध में प्राक्लन समिति द्वारा की गई कतिपय सिफारिशों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं यदि आप उनको पढ़ेंगे तो उसकी सम्भवत: छवि भिन्न रूप में प्रस्तुत होगी। प्राक्कलन समिति के 19वें प्रतिवेदन में बहुत से अच्छे सुझाव दिये गये हैं, लेकिन मंत्रालय का प्रति उत्तर नकारात्मक ही रहा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री खण्डूरी जी, प्राक्कलन समिति द्वारा की गई कार्यवाही प्रतिवेदन मंजूर कर लिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने केवल यही बात कही है।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी: उन्होंने केवल रक्षा नीति के बारे में बात की जबकि प्रतिवेदन में और कई सिफारिशें हैं । मैंने उन्हें पढ़ा है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन क्या है और इसमें क्या सिफारिशें हैं । इस समय यह प्रतिवेदन हमारे पास नहीं है कृपया दूसरे मुद्दे पर आइये।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी: मेरा प्रधानमंत्री से निवेदन है कि प्राक्कलन समिति की अन्य सिफारिशें (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: हम समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सभा में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उन सिफारिशों की सरकार द्वारा ठीक तरह से जांच की जानी है और उस पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, कृपया इस मुद्दे को छोड़ दीजिये। दूसरे मुद्दे पर आइए। यह मेरा निर्णय है। आपको दूसरी बात पर आ जाना चाहिए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी: मैं की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन के बारे में बात कर रहा हूं न कि मूल प्रतिवेदन के बारे में । अब मैं आगे बोलूंगा।

दूसरी बात यह है कि मैंने खतरे की आशंका के बारे में एक मुद्दा उठाया था और मैंने दो विशेष प्रश्न पूछे थे। सर्वाधिक खतरे की संभावना किस वर्ष रही जिस की सरकार ने गणना की है। सर्वाधिक खतरे का वर्ष कौ सा है ? यह कितना पुराना है ? क्या यह 10 या 15 साल पुराना है ? यह एक प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न खतरे की आशंका पर आधारित है। सरकार ने सशस्त्र सेनाओं को कुछ कार्य सौंपे हैं। क्या सशस्त्र सेनाओं ने वह क्षमता प्राप्त करली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कहते हैं कि धन की कमी के कारण सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण संभव नहीं है। जब सशस्त्र सेनाओं के पास क्षमता नहीं रही है तो क्या सरकार ने उनके कार्यों में कमी की है या सरकार आशा कर रही है कि काम चलाऊ नीति या तदर्थवाद द्वारा सशस्त्र सेनायें काम करेंगी ? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव: मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी देश की खतरे की आशंका स्थिर नहीं है। इसका कुछ भाग स्थिर है और कुछ परिवर्तनशील है । परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलती रहती है। चार वर्षों से मेरा सेनाध्यक्षों से परिचय होता रहा है उन्होंने लगातार दो वर्षों में मुझसे वही बात नहीं बतायी है वे खतरे की आशंका के बारे में अद्यतन स्थिति और उसका सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी देते रहे हैं।

यह सत्य है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी किस देश में नहीं है ? हमारे पास की संसाधनों भी कमी है। उदाहरण के लिए अवाक्स को ही लीजिये। हमने अवाक्स प्राप्त करने की कभी भी कोशिश नहीं की। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम अवाक्स के बिना असुरक्षित हैं।

हमारे देश के लोग अवाक्स विमान का सामना करने हेतु स्वदेशी तकनीक विकसित करने में काफी प्रवीण रहे हैं और आज सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि देश के लिए अवाक्स आवश्यक नहीं है। इसलिए वे अपना कार्य काफी

(श्री अमल दत्त)

कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। मैं संतुष्ट हूं कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने जो बचत की है और जो परिवर्तन किये हैं। वास्तव में प्रशंसनीय है । यदि संसाधनों की कमी नहीं रही होती तो मुझे विश्वास है कि वे ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए एक आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति की है।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सशस्त्र सेनाओं की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता पर ऐसा प्रभाव पड़ने नहीं दिया जायेगा। कि यह समय-समय पर हमारी खतरे की आशंका का सामना करने की क्षमता में बाधक बने। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं। वास्तव में जिन कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा की गई और उस ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया उन क्षेत्रों में मैंने इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है । मैंने उसमें सुधार किया है । यह स्थिति साल दर साल बनी रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि हम विगत वर्ष की तुलना में कुछ कम या अधिक राशि का आबंटन कर रहे हैं। हम सभी ब्यौरों की जांच कर रहे हैं । उदाहरणार्थ, किसी एक वर्ष सरकार जल सेना को कुछ अधिक धनराशि आवंटित करती है दूसरे वर्ष सरकार वायु सेना या थल सेना या उत्पादन ईकाइयों को कुछ अधिक धनराशि आवंटित करती है । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि यह सब कुछ अत्यधिक सावधानी से किया जा रहा है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): हाल ही में हुए खाड़ी युद्ध ने अन्य देशों के बीच एक से अधिक सेवाओं के संयुक्त संचालन की प्रभावकारिता को स्पष्ट कर दिया है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या हम जहां संभव है एक से अधिक सेवाओं अर्थात थल सेना, जल सेना, वायुसेना द्वारा एक साथ समेकित संयुक्त संचालन कर रहे हैं या ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं?

दूसरे, विगत 15 वर्षों के दौरान बहुत से देशों के युद्ध कौशल और प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तन हुआ है । मेरा मानना है कि हमारे देश में ऐसे परिवर्तन नहीं हुए है। उन देशों ने युद्ध प्रशिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक और लेसर गाइडेड सिमुलेशन तकनीकियों को सम्मिलित किया है। हमारे देश ने ऐसी कुछ तकनीकियां प्राप्त की हैं किंतु अभी तक हमने सेना में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने के लिए उनका प्रयोग प्रारम्भ नहीं किया है। उनको सेना में सम्मिलित करने के बारे में सरकार का क्या विचार है जिससे सेना के युद्ध कौशल में प्रवीणता प्राप्त की जा सके? सशस्त्र सेनाओं में अब तक भर्ती किये जा रहे लोगों से और अधिक बुद्धिमान लोगों की भर्ती की जानी चाहिए।

तीसरा और अंतिम प्रश्न यह है कि कुछ उत्साह के साथ हमें कुछ देशों के साथ, जिनके पास तकनीकी उपलब्ध है, सैन्य सामग्री का संयुक्त उत्पादन करना चाहिए। इस संबंध में मैंने रूस और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेडेण्ट स्टेट्स) का उल्लेख किया है। उनके पास कम घातक (सबलीदल) हथियारों के साथ-साथ ऐसे हथियार भी हैं, आंतकवाद का सामना करने की जिनकी प्रभावकारिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन प्रश्नों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

5.00 म.प.

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, हमारे रक्षा उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है माननीय मंत्री द्वारा उल्लेख की गई मदें एक सतत् प्रक्रिया का अंग है। मैं इस बारे में विस्तृत रूप से नहीं कह सकता हूं और उनसे यह नहीं बता सकता हूं कि क्या प्रारम्भ किया जा रहा है और क्या नहीं। यदि कोई तकनीकी या उपकरण सम्मिलित किया जाना है तो इसका अर्थ है कि यदि आवश्यक होगा तो इसे सम्मिलित किया जायेगा। मैं पुन: कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आवश्यक होगा उसे किया जायेगा और इसे धन की कमी को लेकर रोका नहीं जायेगा। रक्षा मंत्रालय का प्रभारी होने के नाते मैं यही कह सकता हूं। जब सेना को लगे कि कोई चीज आवश्यक है तो वे इसे न्यायोचित ठहराते हैं। जहां तक हम कर सकते हैं हम कई विकल्पों के बारे में विचार करते हैं किंतु हम अपनी क्षमता और प्रभावकारिता पर समग्र रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है?

श्री अमल दत्त: अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और संयुक्त सैन्य सामग्री का उत्पादन।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, इस विशेष मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है मैं जानकारी प्राप्त कर उन्हें बतलाऊंगा । अब कई वस्तुओं के मामले में हम पहले ही संयुक्त उपक्रम स्थापित कर रहे हैं। संयुक्त विनिर्माण की सुविधायें आदि दे रहे हैं। अत: यह कोई नई बात नहीं है।

श्री अमल दत्त: हम और अधिक कर सकते हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : वास्तविक मुद्दा क्या है कि यह सब किस प्रयोजन के लिए है? मेरी राय, जिससे मेरे कुछ साथी कुछ संसद सदस्य सहमत न हों, यह है कि यह हमारे अपने प्रयोजनों के लिए होना चाहिए, इसका उपयोग वाणिज्यिक शोषण के लिए नहीं है। हमारी विदेश नीति और हमारी शांति की नीति और मौत के सौदागर बनने की प्रकृति के विरुद्ध है। महोदय, इस मुद्दे पर मेरा मत अलग है। इसके अलावा जहां तक हमारे देश की रक्षा, हमारे प्रादेशिक क्षेत्र और रक्षा प्रयोजनों का संबंध है हम अन्य देशों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित कर रहे हैं और करना चाहते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में हमें अलग मत रखना होगा। सामान्य परिस्थितियों में हम वाणिज्यिक बनना नहीं चाहते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। किंतु इस प्रश्न का पूर्ण समाधान नहीं मिला है। हमारे पास विकल्प हैं उसमें कुछ सुधार किये गये हैं। उदाहरणार्थ छोटे हथियारों के मामले, में जो मैंने कहा है, उसमें कुछ अलग नीति अपनायी है, लेकिन हमें कहां रूकना चाहिए? यदि हम वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण निर्यातक और हथियारों और गोला बारूद के विक्रेता बनना चाहते हैं तो यही बात शायद इस सभा के ध्यान में लानी होगी । हमें इस पर चर्चा करनी होगी, सरकार को इसकी विस्तृत रूप से जांच करनी होगी।

श्री अमल दत्त: प्रश्न यह नहीं है ...(व्यवधान)

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हमारे कुछ साथियों ने मुझे इसे निरंतर व्यवहार में लाने के लिए कहा है लेकिन मैं जरा हिचकिचाता रहा हूं। आज तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि साधारण सा कारण है कि हम कहीं भी इसके समीप नहीं है। यदि आप ऐसा चाहेंगे तो हम शायद दस अथवा पन्द्रह वर्षों में इसके समीप पुहंच जायेंगे।

अत: प्रश्न जरा पूर्वकालिक है और हम अपने को इन चर्चाओं में नहीं खोना चाहते हैं। आओ पहले हम अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करें और वे आवश्यकताएं बढ़ रही हैं क्योंकि खतरा बढ़ रहा है इसलिए, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर, हमें खतरा कम करने पर भी ध्यान केन्द्रित करना है एक देश के मामले में हमने काफी हद तक हमने ऐसा करने की व्यवस्था कर ली है। अत: रक्षा तथा विदेश संबंधी मामले वैदेशिक संबंध साथ-साथ चलते हैं यह एक ऐसी चीज है जिसे हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और इस संबंध में हमारी स्थिति सुखद है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक): एक मसले पर हमने लगभग समूचे विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव दिया है, वह मामला है बोफोर्स का और आपने सभा को आश्वासन दे दिया है कि "मैं व्यक्तिगततौर पर इस मामले को देख रहा हूं और मैं सारे मसले की जांच-पड़ताल कर रहा हूं।" अत: क्या माननीय प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोफोर्स के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव: महोदय, जहां तक बोफोर्स का संबंध है। यह मसला बहुत पहले से स्विटजरलैंड के ऊपर छोड़ दिया गया है यह स्विजरलैंड की अदालत में है जो न तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है और न ही इस विषय में हमें वहां कुछ करना हैं। इस पर निर्णय लेना उनका काम है। उनकी अपनी अपील है तथा दूसरी प्रक्रियाएं है। जो इस मामले में विलंब करने में रुचि ले रहे हैं, वे कानून की किसी भी उपलब्ध प्रक्रिया के माध्यम से विलम्ब करवा रहे हैं, ऐसा प्रत्येक देश में होता है। अत: इसमें मुझे इसके सिवाय और कुछ नहीं जोड़ना है कि इस समूचे मसले को स्विजरलैंड पर छोड़ दिया है।

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य): महोदय, मुझे यह जानकर खुशी है कि भारत सरकार ...

अध्यक्ष महोदय: रक्षा मंत्रालय युद्ध में दूसरों से निबटता है, आन्तरिक युद्धों से नहीं।

श्री आर. अन्बारासु : हां, आप ठीक कहते हैं। महोदय, मुझे यह जानकर खुशी है कि भारत सरकार ने श्रीलंका में आतंकवाद को खत्म करने के लिए श्री लंका सरकार को मदद दी है। तत्कालीन सरकार ने श्री राजीव गांधी के कुशल नेतृत्व में मासूम तमिलों की जान व माल को बचाने तथा श्रीलंका में मानव जातीय समस्या का राजनैतिक समाधान खोजने के लिए भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी थी लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय शान्तिसेना बगैर इसकी सेवा लिए ही वापस भेज दी गई। वस्तुत: यह भारत सरकार का अपमान था। अत: इस बार इतिहास नहीं दोहराया जाना चाहिये।

अत: जो बात मैं यहां कहना चाहता हूं वह यह है कि महोदय, श्रीलंका सरकार को श्रीलंका में तमिल जाति को खत्म करने में हमारी दी सहायता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। क्योंकि यह बीता इतिहास है। अत: मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगा कि क्या कोई पूर्व शर्त...

अध्यक्ष महोदय: श्री अन्बारासु, हम इससे तब निपटेंगे जब हम विदेश मंत्रालय की मांगों के संबंध में चर्चा करेंगे।

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, ठीक है....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के लिए सदस्यों ने बहुत से कटौती प्रस्ताव दिये हैं। क्या मैं सभा का मत हासिल करने के लिए सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ रखू अथवा क्या कोई सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव का पर सभा के मतदान के लिए अलग से रखना चाहता है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य अथवा सदस्या अपना कटौती प्रस्ताव सभा का मत हासिल करने के लिए अलग से पेश करना चाहता/चाहती है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्यां 40 तथा संख्यां 63 को सभा के मतदान के लिए अलग से रखना चाहती हूं। कटौती प्रस्ताव संख्या 63 भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक-एक पेंशन के बारे में है तथा कटौती प्रस्ताव संख्या 40 बोफोर्स के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री अमल दत्त : आप मेरे कटौती प्रस्ताव संख्यां 14 तथा कटौती प्रस्ताव संख्यांक 16 रखें। कटौती प्रस्ताव संख्यां 14 भारतीय वायु सेना में पुरानी शस्त्र पद्धति को बदलने की आवश्यकता के संबंध में है। कटौती प्रस्ताव संख्या 16 तीनों सेनाओं में निगरानी व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता के संबंध में है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महिला सदस्य से ससम्मान अनुरोध करता हूं कि वे एक रैंक-एक पेंशन से संबंधित विशिष्ट कटौती प्रस्ताव पर मतदान कराने के संबंध में न अड़ी रहें। सभा द्वारा इसे अस्वीकार किया जाना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मालिनी जी, मुझे उम्मीद है, आप इस पर सहमत होंगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: महोदय, मैं इस पर दबाव नहीं डालूंगी लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी यदि माननीय प्रधानमंत्री इस संबंध में हमें कोई अश्वासन दें।

श्री पी.वी. नरसिंह राव: यह सतत समीक्षाधीन है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विषमता काफी समय से चली आ रही है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव: यह सत्य है। हमें पक्षपातपूर्ण ढंग से संतुष्टि दी गई है। वक्तव्य दिये गये हैं, कार्यवाही की गई है। यह एक सतत प्रक्रिया है इसे संसद में मतदान द्वारा अस्वीकार किया जाना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मालिनी जी, मैं सोचता हूं कि आप इस पर सहमत हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, जी हां, कटौती प्रस्ताव संख्यांक

63 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: महोदय, कटौती प्रस्ताव संख्या 40 को लेना है ।

अध्यक्ष महोदय: कटौती प्रस्ताव संख्या 40 को हम विचारार्थ ले रहे हैं।

मैं अब मालिनी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 40 तथा श्री अमल दत्त द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 14 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य)

प्रस्ताव संख्या 14 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 40 तथा 14 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना: महोदय, बिजली चली गई है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह समझ लें कि बाहर से विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ के कारण हुआ है।

मैं अब एक साथ प्रस्तुत किए गए सभी दूसरे कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए पेश करता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 34 से 39, 56 से 61 तथा 1 से 19, 40 से 42, 45 से 55, 62 तथा 66 से 74 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

अध्यक्ष महोदय: नहीं वाली पत्रिका अब नजर आ रही है। मैं अब रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को पेश करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 "में रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 15 से 21 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्च की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1995-96 के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	30 मार्च, 1995 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	2.	3.		4.	
रक्षा मंत्रालय					
15	रक्षा मंत्रालय	337,80,00,000	3,42,00,000	1688,96,00,000	17,10,00,000
16	रक्षा पेंशनें	476,13,00,000		2380,62,00,000	
17	रक्षा सेवाएं-थल सेना	2140,49,00,000		10702,45,00,000	
18	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	261,29,00,000	...	1306,42,00,000	
19	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	710,72,00,000		3553,55,00,000	
20	रक्षा आयुध निर्माणियां	118,07,00,000		590,33,00,000	
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिणय	...	1224,55,00,000		6122,76,00,000